

636

Total Pages : 4

Roll No. -----

CYL-104

Cyber Crimes and Consumer Protection in Cyberspace/

साइबर अपराध एवं उपभोक्ता संरक्षण में साइबर स्पेस

P.G.Diploma in Cyber Law (PGDCL-12/16/17)

First Year, Examination 2021 (Winter)

Time: 2 Hours

Max. Marks: 80

Note : This paper is of Eighty (80) marks divided into two (02) Sections A and B. Attempt the questions contained in these sections according to the detailed instructions given therein.

नोट : यह प्रश्नपत्र अस्सी (80) अंकों का है जो दो (02) खण्डों, क तथा ख में विभाजित है। प्रत्येक खण्ड में दिए गए विस्तृत निर्देशों के अनुसार ही प्रश्नों को हल करना है।

Section – A /खण्ड-क

(Long Answer – type questions) / (दीर्घ उत्तरों वाले प्रश्न)

Note: Section 'A' contains Five (05) long-answer-type questions of Twenty (20) marks each. Learners are required to answer any two (02) questions only.

[2 x 20 = 40]

P.T.O.

636

1

नोट : खण्ड 'क' में पाँच (05) दीर्घ उत्तरों वाले प्रश्न दिये गये हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए बीस (20) अंक निर्धारित हैं। शिक्षार्थियों को इनमें से केवल दो (02) प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

Q.1. Define "cyber crime". How cyber crimes can be stopped? Explain.

“साइबर अपराध” को परिभाषित कीजिए। इन्टरनेट से संबन्धित अपराधों को किस प्रकार रोका जा सकता है। व्याख्या कीजिए।

Q.2. How internet has proved to be helpful in conducting judicial work during corona crises.

वर्तमान कोरोना काल में इन्टरनेट किस प्रकार न्यायिक कार्यों के सम्पादन में सहायक सिद्ध हुआ है।

Q.3. What are protection given under consumer protection act 1986 against cyber crime.

साइबर अपराधों के विरुद्ध उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में कौन-कौन से संरक्षण दिये हैं?

Q.4. What are the remedies available under Specific Relief Act 1963 regarding cyber crimes?

विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 के अधीन साइबर अपराधों के विरुद्ध क्या-क्या अनुतोष दिये गये हैं।

Q.5. What do you mean by Trespass and Mens Rea in Cyber crime?

साइबर अपराधों में अतिचार एवं दुराशय से आप क्या समझते हैं?

Section – B / खण्ड— ख

(Short-answer-type questions) / लघु उत्तरों वाले प्रश्न

Note: Section 'B' contains Eight (08) short-answer-type questions of Ten (10) marks each. Learners are required to answer any Four (04) questions only.

[4 x 10 = 40]

नोट : खण्ड 'ख' में आठ (08) लघु उत्तरों वाले प्रश्न दिये गये हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए दस (10) अंक निर्धारित हैं। शिक्षार्थियों को इनमें से केवल चार (04) प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

Q.1. Define what is Phishing and Spam.

फिशिंग और स्पैम को परिभाषित कीजिए।

Q.2. Write a note on relevance of Consumer Protection Act, 1986 in context of Cyber Crime.

साइबर अपराधों के संदर्भ में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की उपयोगिता पर निबन्ध लिखिए।

Q.3. What are the provisions in Information Technology Act, 2000 to stop cyber crime?

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में साइबर अपराधों को रोकने के लिए क्या-क्या प्रावधान हैं?

P.T.O.

- Q.4. Write a note on e-Governance in modern times.
आधुनिक युग में ई-गवर्नेन्स पर टिप्पणी लिखिए।
- Q.5. Define Hacking and Cracking.
हैकिंग और क्रैकिंग को परिभाषित कीजिए।
- Q.6. Comment upon freedom of Speech and Expression on internet.
इन्टरनेट पर वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर टिप्पणी कीजिए।
- Q.7. "Cyber crimes are considered as border-less crimes". Explain the problem of jurisdiction faced in this regard.
साइबर अपराधों को सीमारहित अपराध माना जाता है। साइबर अपराधों में क्षेत्राधिकार संबन्धित मुश्किलों की चर्चा कीजिए।
- Q.8. "Cyber crimes are more dangerous than traditional crimes". Explain.
साइबर अपराध पारंपरिक अपराधों से अधिक घातक हैं। समझाइए।
-